न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

केम्प कोर्ट रिछोली

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 162/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा		1. डूंगराराम, रूपाराम,गोमाराम पि0 तेजाराम कौम जाट निवासी रिछोली 2. बागाराम पुत्र गोकलाराम कौम जाट सा.देह. 3. नारणाराम पुत्र गोकलाराम कौम जाट सा.देह. 4. राणाराम, बींजाराम पि. मेगाराम कौम जाट निवासी रिछोली 5. नरपतसिंह, भंवरसिंह, नरपतसिंह, देवीसिंह, जबरसिंह, जालमसिंह पि. तेजसिंह कौम राजपूत सा. देह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक 22.10.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम आदमपुरा से रा0प्रा0वि0 दलाराम मेगवाल की ढाणी तक बाहमी मार्ग रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम आदमपुरा के खसरा नम्बर 369/39, 368/39, 382/42 भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल :::: में किया गया है, आदमपुरा से रा0प्रा0वि0 दलाराम मेगवाल की ढाणी तक बाहमी मार्ग रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया। तथा विप्रार्थीगण संख्या 5 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए विप्रार्थीगण [illegible] अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 14.10.2021 को [illegible] ग्राम पंचायत भाखरसर ने संबंधित खातेदारान के सहमति–पत्र स्टाम्प पर पेश किये [illegible] ग्राम पंचायत भाखरसर, पटवारी हल्का रिछोली, [illegible] तहसीलदार, पाटोदी [illegible]

प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट रिछोली में [illegible] तहसीलदार, पाटोदी के द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से मजमें आम में जांच की गई, दोरान जांच आदमपुरा से रा0प्रा0वि0 दलाराम मेगवाल की ढाणी तक बाहमी मार्ग रास्ता दर्ज कराने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:15 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम आदमपुरा से रा0प्रा0वि0 दलाराम मेगवाल की ढाणी तक बाहमी मार्ग रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम आदमपुरा के खसरा नम्बर 367/39, 371/39, 370/39, 369/39, 368/39, 382/42 रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0–06 बीघा, 0–08 बीघा, 0–06 बीघा, 0–06 बीघा, 0–07 बीघा, 2–04 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल :::: मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को कोर्ट केम्प रिछोली मे मजमें आम में सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:15 IST
Reason: SelfAttested